भारतीय संविधान का संशोधन

भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, इसका प्रावधान संविधान के **भाग 20 (XX)** के **अनुच्छेद 368** में किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की यह प्रक्रिया **दक्षिण आफ्रीका** के संविधान से ग्रहण की गई है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और इस गतिमान ब्रम्हाण्ड में कोई भी चीज सदैव गतिहीन नहीं रह सकती। कोई भी संविधान निर्मात्री सभा यह दावा नहीं कर सकती, कि उनके द्वारा निर्मित संविधान सर्वकालिक प्रकृति का सिद्ध होगा। इसका मूल कारण यह है कि हम भविष्य की सभी बातों का अनुमान लगा ही नहीं सकते और कोई भी ढाँचा हर काल और हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। समय के साथ-साथ उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिये यही बात उचित है कि संविधान में ही उसके संशोधन का तरीका बता दिया जाए अन्यथा इस बात की पूरी संभावना है कि नई पीढ़ी उसे नष्ट करके अपनी आवश्यकतानुसार नया संविधान गढ़े।

(ग) विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन

संविधान के वे प्रावधान जो संघात्मक संरचना से संबंधित हैं उनमें संशोधन कठोर है तथा उनमें संशोधन तभी संभव है जब संसद के दोनों सदनों से विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाए और उसके पश्चात कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का 'संकल्प' पारित करके उसे अनुसमर्थन दिया जाए। ये उपबंध निम्न हैं। जैसे- अनुच्छेद-54, 35, 73, 162, 241 आदि में किया जाने वाला संशोधन।

- राष्ट्रपति निर्णाचन से संबंधित उपबंध
- संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित उपबंध
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध
- संसद में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय
- संघ और राज्य के विधायी शक्तियों से संबंधित विषय
- अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

अनुच्छेद वैसी ही लिखे रहेंगे। अनुच्छेद 124 में आज भी लिखा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और सात से अनधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जबकि संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 30 कर दी है।

- **जहां संविधान का पाठ परिवर्तित हो जाता है–** इनमें से कुछ प्रमुख उपबंध निम्न हैं-

1. नए राज्य का निर्माण या विद्यमान राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन
2. पहली, चौथी, पाँचवी, छठी अनुसूची के विषय
3. विधान परिषद का सृजन या उत्सादन
4. संघ राज्यक्षेत्रों के लिये विधानमण्डल या मंत्रिपरिषद या दों का सृजन
5. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों, कुछ अन्य संवैधानिक पदों के वेतन-भत्ते आदि।
6. संसदीय विशेषाधिकार का निर्धारण
7. अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी के प्रयोग का 15 वर्ष से अधिक के लिये विस्तार
8. दूसरी अनुसूची से संबंधित कुछ अनुच्छेद (75, 97, 125, 148 आदि)

(ख) विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

दृश्य या औपचारिक प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में संविधान में बताए गए तरीके से संशोधन होता है। यह परिवर्तन की घोषित और प्रकट प्रक्रिया है। भारत के संविधान में यह तीन तरीके से संभव है-
(क) कुछ उपबंधों में साधारण बहुमत द्वारा
(ख) कुछ उपबंधों में विशेष बहुमत द्वारा
(ग) कुछ उपबंधों में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन

(क) साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

संविधान के जिन उपबंधों का विशेष संवैधानिक महत्व नहंी है उनमें संशोधन करने के लिये अत्यन्त लचीली प्रक्रिया अपनाई गई है। ध्यातव्य है कि इन उपबंधों में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। ये उपबंध दो प्रकार के हैं-

- **जहाँ संविधान का पाठ नहीं बदलता परंतु विधि में परिवर्तन आ जाता है**– जैसे अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को है परंतु अनुच्छेद 5 से 10 तक के अनुच्छेद वैसी ही लिखे रहेंगे। अनुच्छेद 124 में आज भी लिखा है कि भारत का उच्चतम

संशोधन की प्रक्रिया (Procedure of amendment)

किसी भी संविधान में दो तरीकों से संशोधन संभव है-

- अदृश्य या अनौपचारिक प्रक्रिया द्वारा
- दृश्य या औपचारिक प्रक्रिया द्वारा

अदृश्य या अनौपचारिक प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में घोषित तौर पर संविधान में संशोधन नहीं किया जाता परंतु फिर भी संविधान में परिवर्तन आ जाता है। इसके मुख्यत: तीन तरीके हैं –

(क) न्यायालय द्वारा निर्वचन करके – यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय संविधान के किसी उपबंध की मौलिक व्याख्या कर दे तो वह व्याख्या ही उस प्रावधान का वास्तविक अर्थ मानी जाती है जैसे- विभिन्न लोकहित वादों में संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हैं जो मूल संविधान में नहीं थी।.

जो उपबंध 'साधारण बहुमत द्वारा संशोधन' और भारत के संघ्ज्ञीय ढाँचे से संबंधित उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं उन सभी में विशेष बहुमत से संशोधन होता है। विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि ऐसे संशोधन विधेयक को-

- प्रत्येक सदन में 'उपस्थित और मतदान करने वाले' सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई (2/3) का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। 'उपस्थित तथा मतदान करने वाले' सदस्यों का अर्थ है कि यदि कुछ सदस्य मतविभाजन के समय उपस्थित हों परन्तु मतदान में हिस्सा न लें तो दो-तिहाई की गणना के लिये उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। स्पष्टत: (2/3) की गणना में उसी की गिनती होगी जो न केवल उपस्थित हो बल्कि मतदान में भी भाग ले।
- सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिये। सदन की कुल संख्या का अर्थ सदन की समस्त संख्या से है न कि उस समय मौजूद सदस्यों की संख्या से।